प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
प्र. ई. रि. स. – 66/22 दिनांक – 01/03/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7, 7ए
(ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
(स) अधिनियम – .... धाराये – ....
(द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120 बी आईपीसी
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 8 समय – 1:35 pm
ब. अपराध के घटने का दिन – सोमवार, दिनांक – 28.02.2022 समय – 11.05 ए.एम.
स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21.02.2022 समय – 01.15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उत्तर 175 किलोमीटर लगभग
(ब) पता :– मध्यस्थ कुन्दनाराम का मकान, मेघवालों का बास, कस्बा बाप जिला जोधपुर।
बीट संख्या जरायमदेही संख्या
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
1. (अ) नाम – सिद्वराज सिंह (ब) पिता/पति का नाम – श्री रतनाराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष – 31 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
(य) व्यवसाय – विधार्थी (र) पता – ग्राम राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
1. श्री डालसिंह पुत्र श्री ताराचन्द उम्र 38 साल जाति मेघवाल निवासी इन्द्रपुरा पोस्ट बिजांवास तहसील हमीरवास जिला चुरू हाल पटवारी, पटवार मण्डल बारू अतिरिक्त प्रभार राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर।
2. श्री कुन्दनाराम पुत्र श्री मनसुखराम उम्र 39 साल जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, बाप जिला जोधपुर (मध्यस्थ)
3. श्री विकास पुत्र श्री पवन जाति धानक निवासी धन्धेउं रामसिंह, तहसील राजगढ जिला चुरू हाल कार्य सहायक प्राईवेट व्यक्ति।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 5,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............. कोई नहीं...........
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट...

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महो.
एसीबी (स्पेशल यूनिट) जोधपुर

विषयः– रिश्वत लेतें हुए रंगे हाथों पकडवानें बाबत।

महोदय,

मुझ प्रार्थी सिद्वराज सिंह पुत्र श्री रतनाराम ग्राम राणेरी जाति बिश्नोई का निवेदन है कि ग्राम राणेरी तहसील बाप में हमारी सामलाती पुश्तेनी जमीन आई हुई है। इस जमीन में हमारें परिवार के हिस्से को शुद्विकरण करवाना है। इसलिए मै श्री डालसिंह पटवारी पटवार मण्डल राणेरी से मिला तो उसनें कहा कि 5000 रूपयें देने होगे। शुद्विकरण करवा दूंगा। तुम जाकर विकास से मिल लो। विकास उनके घर पर स्थित कार्यालय में उनका पूरा काम करता"। तो मै 18–11–21 विकास से मिला। विकास ने कहा कि कागज दे दो व दो हजार रूपयें अभी दे दो। बाकी के 3000 रूपयें काम होनें के समय पटवारी को दे देना। तब मैनें विकास को कागज दे दिय तथा दि. 19–11–21 को 2000 रूपये फोनपे के माध्यम से विकास के मो. न. 9772608232 पर ट्रांसफर कर दिये। उसके दो महिनें बाद भी मेरा काम नही हुआ तों में पटवारी डालसिंह से मिला। तब उन्होनें कहा कि एक एप्लीकेशन नायब तहसीलदार साहब से मार्क करवा के लाओ काम हो जायेगा। तब में मेरे चाचा भंवरलाल को लेकर शुद्विकरण की अर्जी लेकर नायब तहसीलदार से मार्क करवाई जिन्होनें पटवारी से रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट होनें के बाद नायब तहसीलदार द्वारा शुद्विपत्र भरनें हेतु आदेश कर दिया। जो आदेश लेकर तहसील कार्यालय के L R शुद्विपत्र ऑनलाईन करवाकर पटवारी डालसिंह के भतीज विकास को दिया। उसके बाद विकास नें मुझे फोन करके बताया कि बाकी के पेसे नही दोगे तों काम नही होगा। 3000 रू दोगे तो ही काम होगा।

शुद्विपत्र ऑनलाईन होनें के बाद उसके प्रिन्ट पर पटवारी, आर.आई., नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर होनें के बाद फाइनल ऑनलाइन लॉक होता है। पटवारी के हस्ताक्षर होनें के बाद ही अन्य के हस्ताक्षर होकर लॉक होता है।

एक अन्य खसरा में एसडीएम कोर्ट की आदेश की पालना में म्युटेशन करनें विकास को कहा तों उसने कहा कि पहलें 3000 रू दो फिर बात करेगे मै अपना शुद्विपत्र भरवानें के वाजिब काम के लिए पटवारी डालसिंह व उसके दलाल विकास को अब 3000 रूपयें रिश्वत नही देना चाहता हूं। तथा इनकों रिश्वत लेतें हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। पटवारी डालसिंह एवं विकास से मेरी कोई दुश्मनी नही है। न ही इन लोगों से मेरा कोई लेन देन बकाया है।

अतः रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करावे।

संलग्नः–
1.आधार कार्ड प्रति
2.फोन पे स्क्रीन शोट प्रति
व दस्तावेज

भवदीय
एसडी
(सिद्वराज सिंह पुत्र श्री रतनाराम)
गांव राणेरी त. बाप जोधपुर
मो. 8764343439

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 21.02.2022 समय 1.15 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री सिद्वराज सिंह पुत्र श्री रतनाराम उक्तरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट के साथ कार्यालय उपस्थित आया। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एसडी	एसडी	एसडी	एसडी
(Nitin sankhla)	(जयराम)	(सिद्वराज)	(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
28/2/2022	28/02/2022		21/02/22 अति.पुलिस अधीक्षक